

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (टोक)

बनाम

किस्म मुकदमा.....नम्बर

सन्...20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
------------------------------------	--

31.1.20

अब पणवली पेग डई। विद्यमान अधिवक्ता
 नारिण्डा उपर पणवली की आदेशिका का
 अन्तिम फरमाया गया। जिससे 24.1.20
 को उन्निरीण को उचित तलबी बही होने के
 कारण न्यायालय द्वारा विद्यमान अधिवक्ता
 वारी पुः सम्मन तलबाना पेश करने हेतु
 आदेशिका किया गया। परन्तु अधिवक्ता वारी
 द्वारा निर्वाहित स्वतः अधि में सम्मन तलबाना
 न कर न्यायालय नया स्वतः प्राप्त किया
 गया।

अब पणवली अन्तिम आदेश 9 नियम 5 के
 अन्तर्गत जारी कि जाती है।
 पणवली केस नुमांर को नम्बर के काम की
 अन्तर्गत उचित उपर हो।
 अन्तर्गत उचित न्यायालय में सुनाया गया।

40